

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:- प.1(1)साप्र/2/2025 पार्ट 1-04007

जयपुर, दिनांक: 17.06.2025

—: आदेश :-

श्री नकाते शिवप्रसाद मदन, आई.ए.एस. को आवंटित राजकीय आवास संख्या 20 एफ हीराबाग, जयपुर उनके आयुक्त, आबकारी विभाग एवं पदेन मद्य निषेध निदेशक, उदयपुर के पद पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाने के पश्चात राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम 12 बी के अनुसार जयपुर से बाहर स्थानान्तरण होने के उपरान्त कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवंटित राजकीय आवास रिक्त करने का प्रावधान है। जिसके क्रम में इस विभाग के आदेश दिनांक 11.06.2025 के द्वारा उक्त आवास के आवंटन आदेश निरस्त किये गये थे।

इस विभाग के सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार श्री नकाते शिवप्रसाद मदन, आई.ए.एस. को आवंटित राजकीय आवास संख्या 20 एफ हीराबाग, जयपुर का आवंटन यथावत किया जाता है। इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.06.2025 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाकर उक्त आवास रिक्त कराये जाने के संबंध में विभाग द्वारा की गई समस्त कार्यवाही को ड्रॉप किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दाताराम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्री नकाते शिव प्रसाद मदन, आई.ए.एस., राजकीय आवास संख्या 20एफ हीराबाग, जयपुर।
5. निदेशक, संपदा निदेशालय, मिनी सचिवालय, जयपुर
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड— द्वितीय (मुख्यालय), जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

